न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर, भीलवाड़ा

(पीठासीन अधिकारी रतन कुमार आर0ए0एस0)

प्रकरण संख्या – 05/2021 अभ्यावेदन/परिवाद पत्र

1. चैनसुख जीनगर पुत्र रतनलाल जीनगर निवासी गंगापुर तहसील सहाडा जिला भीलवाडा

बनाम

1. रामेश्वरलाल जाट पुत्र चम्पालाल जाट निवासी गांव बाज्याखेडी तहसील माण्डल जिला भीलवाडा

–प्रार्थी

– विपक्षीगण

प्रार्थी की ओर से प्रस्तुत अभ्यावेदन /परिवाद पत्र अंतर्गत धारा 340 सी आर पी सी (आपराधिक दण्ड प्रकिया संहिता) सपठित धारा 195 सी आर पी सी

उपस्थित –

1. प्रार्थी स्वयं उपस्थित
2. विपक्षी स्वयं उपस्थित

आदेश

दिनांक 22.03.2024

प्रार्थी द्वारा अभ्यावेदन /परिवाद पत्र प्रस्तुत किया हैं। जिसके अंतर्गत परिवादी श्री चैनसुख जीनगर निवासी गंगापुर ने परिवाद प्रस्तुत कर निवेदन किया कि वाद संख्या 14/15 एवं 16/15 न्यायालय अति. जिला कलक्टर भीलवाडा में दर्ज प्रकरणों में निर्णय दिनांक 28.08.2015 में विपक्षी द्वारा न्यायालय में मिथ्या वाद संस्थित कर न्यायिक कार्यवाही में विपक्षी नॉन एसी /एसटी सदस्य द्वारा वाद के प्रस्तुतकर्ताओं को नहीं जानते हुये भी उनका फर्जी प्रमाणीगरण कर न्यायिक कार्यवाही में प्रस्तुत करना, वादियों के फर्जी हस्ताक्षरों से मिथ्या दस्तावेज, शपथ पत्र रचकर उन्हें न्यायिक कार्यवाही में प्रस्तुत कर अनुसूचित जाति सदस्य के विरूद्व कराकर स्थगन आदेश पारित कराकर, अनुसूचित जाति सदस्य के गैस वितरण के व्यवसाय प्रारम्भ करने में बाधा पंहुचाना। जिस व्यक्ति एवं सम्पति के विरूद्व यह अपराध किया गया है, वह व्यक्ति एवं सम्पति अनुसूचित जाति की हैं, की धारा 340 सीआरपीसी (आपराधिक दंड प्रकिया संहिता) सपठित धारा 195 सी आर पी सी के अंतर्गत जांच करके सक्षम न्यायालय (श्रीमान विशिष्ठ न्यायाधीश महोदय अनुसूचित जाति / अनुसूचित जनजाति अत्याचार निवारण प्रकरण भीलवाडा में कार्यवाही करने हेतु भिजावे)।

प्रस्तुत प्रार्थना पत्र को दिनांक 04.03.2021 को पंजीबद्व किया जाकर विपक्षी को न्यायालय में उपस्थित होने हेतु सम्मन जारी किये गये। विपक्षी की ओर से जवाब पेश किया गया। न्यायालय अति. जिला कलक्टर भीलवाडा के प्रकरण सं. 14/15 एवं 16/15 की मूल पत्रावलियां राजस्व मण्डल राजस्थान अजमेर में निगरानी प्रकरण संख्या 5920/2015 में तलब की जाने से प्रेषितं की गयी है।

प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र में उभयपक्षों की बहस सुनी गयी।

प्रार्थी ने अपनी बहस में प्रार्थना पत्र के बिन्दुओं को दोहराते हुए निवेदन

अति. जिला कलक्टर
भीलवाड़ा

किया कि वाद संख्या 14/15 एवं 16/15 न्यायालय अति. जिला कलक्टर भीलवाडा में दर्ज प्रकरणों में प्रार्थी पक्षकारों की पहचान संदिग्ध होने से विचाराधीन प्रकरण निरस्त किया जावे एवं प्रकरण में जिस व्यक्ति एवं सम्पति के विरूद्व यह अपराध किया गया है, वह व्यक्ति एवं सम्पति अनुसूचित जाति की हैं, की धारा 340 सीआरपीसी (आपराधिक दंड प्रकिया संहिता) सपठित धारा 195 सी आर पी सी के अंतर्गत जांच करके सक्षम न्यायालय (श्रीमान विशिष्ठ न्यायाधीश महोदय अनुसूचित जाति / अनुसूचित जनजाति अत्याचार निवारण प्रकरण भीलवाडा में कार्यवाही करने हेतु भिजावे)।

विपक्षी रामेश्वर लाल जाट ने अपनी बहस में जवाब में अंकित तथ्यों को दोहराते हुये बताया कि प्रार्थी चैनसुख जीनगर ने पूर्व में इसी न्यायालय के समक्ष एक परिवाद पेश किया जिसके प्रकरण संख्या 36/2019 विविध आपराधिक प्रकरण दर्ज हुये। यह परिवाद दिनांक 10.06.2020 को खारिज किया गया। परिवाद संख्या 36/2019 खारिज होने पर पुनः प्रार्थना पत्र वास्ते पुनः विचार हेतु प्रस्तुत किया गया जिसके प्रकरण संख्या 44/2020 कायम हुये एवं पुनः विचार का प्रार्थना पत्र दिनांक 15.07.2020 को खारिज हुआ। अब प्रार्थी चैनसुख जीनगर ने दोबारा उन्हीं तथ्यों एवं सेम पक्षकारों के मध्य यह आपराधिक प्रार्थना पत्र पेश किया हैं जो रेसज्यूडिकेटा के सिद्धान्तों के अनुसार पोषणीय नहीं हैं। न्यायालय का समय अनावश्यक जाया किया जा रहा हैं। आपराधिक मुकदमो की सुनवायी का क्षैत्राधिकार राजस्व न्यायालयों को नहीं हैं। निवेदन हैं कि प्रार्थी का प्रार्थना पत्र बाबत् आपराधिक दंड प्रकिया संहिता खारिज किया जावे।

उभयपक्षों की बहस पर मनन किया गया एवं पत्रावली में उपलब्ध दस्तावेज एवं तथ्यों का भलीभांति परीक्षण किया गया। जिसके उपरान्त पाया गया कि प्रार्थी चैनसुख जीनगर ने न्यायालय अति. जिला कलक्टर भीलवाडा की कार्यवाही के दौरान एक मिथ्या दस्तावेज श्री रामेश्वर लाल जाट अधिवक्ता द्वारा पेश करना बताते हुए यह बताया गया हैं कि लेहरू लाल गुर्जर वास्तव में अंगूठा निषानी करता हैं परन्तु उसने अपील संख्या 16/15 में हस्ताक्षर किये थे, न्यायालय अति. जिला कलक्टर भीलवाडा में दर्ज प्रकरणों में प्रार्थी पक्षकारों की पहचान संदिग्ध होने से प्रकरण को निरस्त किया जावे एवं प्रकरण में जिस व्यक्ति एवं सम्पति के विरूद्व यह अपराध किया गया है, वह व्यक्ति एवं सम्पति अनुसूचित जाति की हैं, की धारा 340 सीआरपीसी (आपराधिक दंड प्रकिया संहिता) सपठित धारा 195 सी आर पी सी के अंतर्गत जांच करके सक्षम न्यायालय (श्रीमान विशिष्ठ न्यायाधीश महोदय अनुसूचित जाति / अनुसूचित जनजाति अत्याचार निवारण प्रकरण भीलवाडा में कार्यवाही करने हेतु भिजावे)।

न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर भीलवाडा के प्रकरण सं. 16/2015 अपील उनवान पप्पूलाल शर्मा, लेहरू लाल गुर्जर –अपीलार्थी बनाम श्रीमती ममता जीनगर – प्रत्यर्थी में निर्णय दिनांक 28.08.2015 से अपीलार्थी की अपील खारिज की गयी हैं। निर्णय दिनांक 28.08.2015 के विरूद्व श्री पप्पूलाल शर्मा द्वारा एक निगरानी न्यायालय राजस्व मण्डल राजस्थान अजमेर में दर्ज करायी गयी हैं जिसके प्रकरण संख्या निगरानी /2015/5920 जैरकार होकर वर्तमान में विचाराधीन हैं।

अति. जिला कलक्टर
भीलवाड़ा

न्यायालय अति. जिला कलक्टर भीलवाडा में प्रकरण संख्या 16/2015 दिनांक 02.06.2015 को पंजीबद्ध होकर दिनांक 28.08.2015 को निर्णित हुआ। इस प्रकरण में प्रस्तुत वकालतनामा दिनांक 11.05.2015 पर पप्पूलाल शर्मा लेहरू गुर्जर के हस्ताक्षर हैं। इसमें प्रार्थी परिवादी ने लेहरू गुर्जर के हस्ताक्षर संदिग्ध होना बताते हुये अधिवक्ता रामेश्वर लाल जाट के विरूद्व दण्डात्मक कार्यवाही करने की प्रार्थना की हैं। परिवादी ने प्रकरण के जैरकार रहते हुये व निर्णय होने तक न्यायालय अति. जिला कलक्टर भीलवाडा में इस संबंध में कोई शिकायत/परिवाद प्रस्तुत नहीं किया हैं, जबकि प्रार्थी परिवादी ने विषयाकिंत परिवाद दिनांक 18.06.2018 को राजस्थान अनुसूचित जाति आयोग जयपुर को प्रेषित किया हैं।

पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेज परीक्षण से जाहिर आया कि अधिवक्ता रामेश्वर लाल जाट ने अपने जवाब में अंकित कि वकालतनामा पर वादी /प्रार्थी द्वारा जो हस्ताक्षर किये जाते हैं उसी के आधार पर अधिवक्ता द्वारा न्यायालय में प्रकरण पर हस्ताक्षर करवाकर प्रस्तुत किया गया हैं। ऐसी स्थिति में लेहरू गुर्जर व पप्पू शर्मा के हस्ताक्षर संदिग्ध होने के संबंध में रामेश्वरलाल जाट अधिवक्ता को उत्तरदायी नही ठहराया जा सकता हैं। प्रार्थी चैनसुख जीनगर ने पूर्व में इसी न्यायालय के समक्ष एक परिवाद पेश किया जिसके प्रकरण संख्या 36/2019 विविध आपराधिक प्रकरण दर्ज हुये। यह परिवाद दिनांक 10.06.2020 को खारिज किया गया। परिवाद संख्या 36/2019 खारिज होने पर पुनः प्रार्थना पत्र वास्ते पुनः विचार हेतु प्रस्तुत किया गया जिसके प्रकरण संख्या 44/2020 कायम हुये एवं पुनः विचार का प्रार्थना पत्र दिनांक 15.07.2020 को खारिज हुआ। अब प्रार्थी चैनसुख जीनगर ने दोबारा उन्हीं तथ्यों एवं समान पक्षकारों के मध्य यह आपराधिक प्रार्थना पत्र पेश किया हैं जो रेसज्यूडिकेटा के सिद्धान्तों के अनुसार पोषणीय नहीं हैं।

उपरोक्त विवेचन अनुसार श्री चैनसुख जीनगर परिवादी के परिवाद को आपराधिक दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा 340 सी आर पी सी सपठित धारा 195 सी आर पी सी के प्रावधानों के अन्तर्गत जांच एवं अनुसंधान में निर्णय करने हेतु यह प्रकरण इस न्यायालय के श्रवणाधिकारी एवं क्षैत्राधिकार से बाहर हैं। परिवादी चैनसुख जीनगर उक्त प्रकरण में आपराधिक दंड संहिता की धारा 340 सी आर पी सी के तहत कार्यवाही हेतु सक्षम न्यायालय में चाराजोही हेतु स्वतंत्र हैं।

परिणामस्वरूप परिवादी श्री चैनसुख जीनगर की ओर से प्रस्तुत किया गया अभ्यावेदन/परिवाद अंतर्गत धारा 340 सी आर पी सी सपठित धारा 195 सी आर पी सी विपक्षी के विरूद्व अस्वीकार किया जाता हैं।

आदेश आज दिनांक 22.03.2024 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर बाद हस्ताक्षर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(रतन कुमार)
अति. जिला कलक्टर
भीलवाड़ा